न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 1231/2020 तारीख रजू:– 30.06.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली ———————————— वादी

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली
2. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं तकास्मा आराजीयात

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी
2. श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट प्रतिवादी सं01

निर्णय दिनांक :– 23.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं तकास्मा आराजीयात विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 कस्बा हिण्डौन वादी एवं प्रतिवादी सं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है किवादी को आम बोलचाल में विशन कुमार के नाम से जाना जाता है जबकि उसका समस्त सरकारी रिकार्ड में नाम विष्णु कुमार दर्ज रिकार्ड है। इसलिए वादी की खातेदारी में वादी का नाम विशन कुमार के स्थान पर विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार दर्ज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं01 के मृतक रामजीलाल पिता रहे हैं। जिनकी [illegible] आज से करीब 60 साल पूर्व हो चुकी है। मृतक रामजीलाल की मृत्यु के बाद [illegible] के कॉलम में वादी एवं प्रतिवादी सं01 की विरासत में रामजीलाल का नाम दर्ज नहीं [illegible] हुए मृतक रामजीलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज [illegible]र्ड फरमा दिया ग[illegible] जिसे संशोधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं01 ने बाहमी तौर पर बंटवारा किया हुआ है, जिसमें खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 हैo, वादी के हिस्से में एवं खसरा नम्बर 5662 रकबा 0.51 हैo प्रतिवादी सं01 के हिस्से में आया हुआ है, जिसका वादी एवं प्रतिवादी सं01 के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 11.03.2020 को वादी अपनी आराजीयात पर के0सी0सी0 की फाईल बनवाने गया, तो पटवारी हल्का से जानकारी करने पर उक्त गलती का पता चल पाया है। इसलिए संशोधन का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि दिनांक 11.03.2020 को वादी के नाम में तहसीलदार तहसील हिण्डौन द्वारा संशोधन करने से इंकार करने से इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। इसलिए दावा हाजा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 हैo, 5661 रकबा 0.51 हैo कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 हैo स्थित कस्बा हिण्डौन में वादी का नाम विशन कुमार के स्थान पर विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार दर्ज फरमाते हुए खातेदारी के कॉलम में मृतक रामजीलाल का नाम हजफ फरमाने के आदेश प्रदान करें तथा दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण फाईनल डिक्री बाबत् तकास्मा फरमाया जाकर खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 हैo स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी वादी के नाम एवं खसरा नम्बर 5661 रकबा 0.51 हैo में से 17 फिट रकबा सम्पूर्ण लम्बाई में 5659 से लगवा वादी के नाम एवं शेष बची भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं01 के नाम दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा दिनांक 23.09.2020 को राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं02 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2029 से 32, नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62, नकल जमाबन्दी सं0 2044, फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स नं0 आरजे 34ए/डीएलसी/13/26559 दिनांक 01.10.2013 विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली की फोटो प्रति, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सं0 00058 विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी केशवपुरा वार्ड नं015 हिण्डौन [illegible] करौली, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 407161777655 [illegible] रामजीलाल शर्मा निवासी खाती पाडा, केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति पेनकार्ड सं0 DJVPS7550E, विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा, फोटो प्रति स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा स्टेशन रोड हिण्डौन खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

61225389280 विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी खाती पाडा केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी एवं प्रतिवादी सं01 ने शपथ पत्र पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं01 ने दौराने बहस मुताविक राजीनामा वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी मुरलीधर पुत्र ... हिस्सा 1/3, रामजीलाल पुत्र .... हिस्सा 1/3, विशन कुमार पुत्र ..... हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 2730 रकबा 2वीघा 1 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 5661 रकबा 0.51 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 3061 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0 कस्वा हिण्डौन कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2029 से 32 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2730 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 3061 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ग्राम हिण्डौन की खातेदारी मुरलीधर व विष्णु कुमार पि0 रामजीलाल हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी मुरलीधर , विशन कुमार, रामजीलाल हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2044 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 कस्वा हिण्डौन की खातेदारी मुरलीधर , विशन कुमार, रामजीलाल हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स नं0 आरजे 34ए/डीएलसी/13/26559 दिनांक 01.10.2013 विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सं0 00058 विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी [illegible] जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 407161[illegible] विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी खाती [illegible] जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेनकार्ड सं0 **DJVPS7550E** विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा स्टेशन रोड हिण्डौन खाता संख्या 61225389280 विष्णु कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी खाती पाडा केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली के नाम से जारी की गई है।

जुवानी सहादत में वादी ने शपथ पत्र पेश किया है जिसमें दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 5659 व 5661 स्थित कस्बा हिण्डौन के रेवन्यू रिकार्ड में मेरा नाम विशन कुमार दर्ज हो गया है जबकि रिकार्ड में मेरा नाम विष्ण कुमार शर्मा है। मेरे पिता रामजीलाल का स्वर्गवास करीब 55 साल पूर्व हो चुका है इसलिए रिकार्ड में संशोधन फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

जुवानी सहादत में प्रतिवादी सं01 ने शपथ पत्र पेश किया है जिसमें दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 5659,5661 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन मुझे एवं मेरे छोटे भाई विष्णु कुमार को अपने मृतक पिता रामजीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। रामजीलाल की विरासत में विष्णु कुमार का नाम विशन कुमार गलत अंकित किया है। जिसे संशोधित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मृतक रामजीलाल के हम दो वारिसान हैं। जिनमें मैं एवं मेरा छोटा भाई विष्णु कुमार उनकी विरासत पर काबिज एवं दखील हैं। हमने मौके पर आराजीयात का बाहमी बंटवारा किया हुआ है।

वादी एवं प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 23.09.2020 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिशल है। राजीनामा में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, जिसमें वादी विष्णु कुमार शर्मा संशोधित फरमाया जावे साथ ही खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी विष्णु कुमार वादी के नाम एवं खसरा नम्बर 5661 रकबा 0.51 है0 में से सम्पूर्ण लम्बाई में 17 फिट भूमि खसरा नम्बर 5659 से लगमा बतरफ उत्तर शामिल करते हुए अलग खसरा नम्बर डालते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खातेदारी दर्ज फरमायी जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 2730 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 3061 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ग्राम हिण्डौन की खातेदारी मुरलीधर व विष्णु कुमार पि0 रामजीलाल हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट नवीन ससरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी मुरलीधर, विशन कुमार, रामजीलाल हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार पुत्र रामजीलाल एक ही व्यक्ति हैं। हाल जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादी के पिता का नाम दर्ज नहीं है बल्कि पिता को भी वादी एवं प्रतिवादी के साथ साथ हिस्सा 1/3 का खातेदार बना दिया है जो साबिक व हाल रिकार्ड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अनुसार सेटिलमेन्ट विभाग ने गलत रिकार्ड तैयार किया गया है। जिसकी दुरूस्ती कराने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है जिनको भी वादी के नाम को राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया है तथा पक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा होना अंकित किया है जिसके अनुसार वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। ऐसे हालात में वादी का दावा आंशिक रूप डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण राजीनामा के आधार पर आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का वादी विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा हिण्डौन को हिस्सा 1/2 भाग का एवं प्रतिवादी सं01 मुरलीधर पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा हिण्डौन को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.02.2021

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली ———————— वादी

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली
2. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं तकास्मा आराजीयात

मुकदमा नं01231/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिब मुदई रूबरू श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 5659 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 5661 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का वादी विशन कुमार उर्फ विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी केशवपुरा हिण्डौन को हिस्सा 1/2 भाग का एवं प्रतिवादी सं01 मुरलीधर पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी केशवपुरा हिण्डौन को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.02.2021 को यह डिकी जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

23.02.2021

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Scanned by CamScanner